(23)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(email- secraj@rajasthan.gov.in FAX 0141-2227280, 2227072)

क्रमांकःएफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014–15/966 दिनांक : 24.01.2026

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K एवं 243ZA के अनुसार राज्य में नगरपालिकाओं एवं पंचायतीराज संस्थाओं की मतदाता सूची की तैयारी तथा इनके चुनावों के संचालन पर पर्यवेक्षण, नियत्रंण, निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित हैं। इन संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रयोजन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराना है। इस क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश प्रदान करता है कि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् से लेकर चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक प्रतिदिन जिलों में स्थानीय स्तर पर समाचार पत्रों में नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित समाचारों का संकलन हेतु जिला जन सम्पर्क अधिकारी के प्रभार में एक प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। इस प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित समाचारों का संकलन कर इन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा।

आयोग स्तर पर जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा प्रतिदिन जिलों से इस प्रकार प्राप्त समाचारों का विश्लेषण कर, ऐसे समाचार, जो निर्वाचनों के सफल संचालन तथा स्वंतत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के उद्देश्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाली घटनाओं एवं तथ्यों से संबंधित हों, को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग के ध्यान में लाया जाएगा।

इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

भवदीय

ह0
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव